बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 15

लोकलुभावनवाद को विराम

इन दिनों देश में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें एक खास बात है। राजनीतिक दलों के बीच लोगों को लुभाने की प्रतिस्पर्धा सी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने छोटे और सीमांत किसानों को आय का हस्तांतरण करने की घोषणा की है। विपक्षी दल कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी की बात कही है जिसके तहत लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की जाएगी। एक खास आय वर्ग से नीचे रहने वाले लोगों को नकद राशि प्रदान की जाएगी।

पिछले वर्ष कई राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी का वादा किया और एक हद तक उसे पूरा भी किया। परंतु अब वह प्राथमिक मुद्दा नहीं है। अब असल मुद्दा है बढ़ती पात्रता योजनाओं का। खासतौर पर ऐसे कार्यक्रम जिनका दायरा बहुत व्यापक है। एक सवाल जो अवश्य पूछा जाना चाहिए वह यह कि क्या ऐसे वादों पर रोक लगाने की आवश्यकता है या फिर क्या देश के सभी राजनीतिक दल ऐसी सहमति कायम कर सकते हैं कि इस प्रकार के वादे न किए जाएं। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में एक सीमा तक ऐसा किया जा सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो हमारा देश व्यय और ऋण के भंवर में फंसने को विवश हो जाएगा।

कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे पास लोक कल्याण के लिए आय के हस्तांतरण जैसे कार्यक्रमों की जांच परख की वजह नहीं है। उदाहरण के लिए किसानों को आय समर्थन की योजना मौजूदा कृषि सब्सिडी के प्रोत्साहन को कतई विकृत नहीं करेगी। यह विश्व व्यापार संगठन के भी कई नियमों के अनुरूप ही होगी। परंतु यदि किसानों के आय समर्थन का इस्तेमाल उर्वरक सब्सिडी, सरकारी खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी के साथ किया गया तो आगे चलकर इससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी पात्रताओं और कर्ज माफी जैसी एकबारगी लागू होने वाली नीतियों में एक खास अंतर है। कर्जमाफी से जहां एक किस्म की नैतिक दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, वहीं नकद पात्रता में समय के साथ-साथ इजाफा होता जाएगा। उनको लागू करने में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। जरा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन की लागत पर विचार कीजिए। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उस वादे का वर्तमान मूल्य क्या है लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जीडीपी का बड़ा हिस्सा इसमें लगेगा। भारत को ऐसी पात्रताओं में इजाफे से बचना चाहिए जिनके बारे में अंदाजा नहीं है कि आने वाले दशकों में उनकी क्या कीमत चुकानी होगी।

सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी अभी कोई अंदाजा नहीं है कि भविष्य में इसकी लागत में किस कदर इजाफा होगा। इनका एक अर्थ यह भी है कि सरकार के अहम संसाधन उसके अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने जैसे मूलभूत काम से इतर व्यय होंगे। पात्रता हस्तांतरण को सरकार के काम का विकल्प नहीं माना जा सकता है।

यह स्कूलिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकल्प भी नहीं है। परंतु राजनीति जिस प्रकार काम करती है, उस तरह देखें तो ये पात्रता योजनाएं सरकार की खर्च करने की क्षमता पर रोक लगा देंगी। इस बीच निजी क्षेत्र की लागत पर कोई रोकटोक नहीं होगी। यह आपदा को निमंत्रण है। ऐसे हस्तांतरण की सीमा तय करने से राजनेताओं को जरूरी संयोजन का अवसर मिलेगा। कृषि आय समर्थन को तब उर्वरक सब्सिडी में कमी के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे एक स्वाभाविक सीमा तय होगी। ऐसी सीमा सभी राजनीतिक दलों के साझा हित में होगी। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक दल महंगे वादों की ओर जाने से भी बचेंगे।

अजय मोहंती

जनांकीय लाभांश का कैसे लिया जाए लाभ?

देश निरंतर प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद से प्रतिस्पर्धी सुशासन की ओर बढ़ रहा है। इसका लाभ देश के आम आदमी को भी होगा। इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं राजीव कुमार

गत 13 फरवरी को 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र को देखते हुए मैं अत्यंत गौरव से भर गया। हमारा देश उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद औपनिवेशिक राज से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद बीते सात दशक में अपने लोकतंत्र को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे निरंतर मजबूत भी किया।

कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा करते हुए हमने उच्च आय वृद्धि के अवसर गंवाते हुए काफी कीमत भी चुकाई है। अगर इसे सच मान लिया जाए तो भी हमें यह समझना होगा कि भारत के लिए पूर्णकालिक और अबाधित संसदीय लोकतंत्र का न तो कोई विकल्प था और न ही है। हमारा लोकतंत्र हमें मूलभूत अधिकारों और आजादी की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। बहरहाल, एक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों और निजी उद्यमिता पर आधारित आर्थिक बदलाव को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती का काम होता है। पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भला मानव इतिहास में कितने अन्य मुल्कों ने एक गरीब अर्थव्यवस्था वाले देश की अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक यह आर्थिक बदलाव किया और इस दौरान अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की भी पूरी तरह रक्षा की।

देश में आम चुनाव करीब हैं और हमारे देश में यह काम जिस गति से और जिस पैमाने पर किया गया वह अपने आप में दुनिया के सामने एक उदाहरण है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस समय एक बहुआयामी बदलाव के मुहाने पर हैं। बीते वर्षों के दौरान और खासतौर पर पिछले पांच वर्ष के दौरान हम प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद से प्रतिस्पर्धी सुशासन की ओर बदलाव देख सकते हैं। यह चुनावी सफलता के प्रमुख वाहक के रूप में नजर आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर चुने या नकारे जा रहे हैं। अन्य कारक मसलन जातीय समीकरण और क्षेत्रीय वफादारी आदि की भूमिका है लेकिन आर्थिक प्रदर्शन सबसे प्रधान बनकर उभरा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यह बड़ा बदलाव है। आने वाले वर्षों में यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।

अब राज्यों के बीच भी निजी निवेश जुटाने की होड़ है। वे अपने भौतिक और सामाजिक ढांचे में बदलाव ला रहे हैं और कारोबारी सुगमता की अंतरराज्यीय रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयासरत हैं तथा स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षण की उपलब्धियों पर काम कर रहे हैं। यह बात प्रतिस्पर्धी संघवाद के मूल में है और नीति आयोग की विभिन्न अंतरराज्यीय रैंकिंग इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। इतना ही नहीं युवा आबादी की बढ़ती आकांक्षा हर स्तर पर प्रशासन पर यह दबाव डाल रही है कि वे प्रदर्शन में सुधार करें और बेहतर नतीजे प्रस्तुत करें। भविष्य में प्रतिस्पर्धी सुशासन मजबूत होगा तो आम नागरिकों को भी बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और किफायत के रूप में इसका लाभ मिलेगा। सात दशक तक कमजोर, नरम और हस्तक्षेपकारी शासन के बाद देश के लोगों को विकासोन्मुखी राज्य का लाभ मिलना ही चाहिए। एक ऐसा राज्य जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो और उनको पारदर्शी तथा प्रभावी ढंग से अंजाम देता हो।

दूसरी बात, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाले कायदे तेजी से बदल रहे हैं। बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम, अचल संपत्ति नियमन अधिनियम (रेरा) और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के साथ अब धोखाधड़ी करना या व्यवस्था को छलना मुश्किल हो गया है। यही बात बेनामी संपत्ति, बैकों तथा कर्जदारों को धोखा देने पर भी लागू होती है। ढाई लाख से अधिक फर्जी कंपनियों को बंद करके भी सरकार ने इस दिशा में अत्यंत सख्त संदेश दिया है।

उचित ढंग से कारोबार करने वालों को प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की सहजता और 95 फीसदी निगमित करदाताओं के लिए कर दरें कम करके राहत दी गई है। कारोबारी सुगमता के वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और यह चार वर्ष में 142वें स्थान से 77वें स्थान पर आ गया है। प्रतिस्पर्धी और नवाचारी सूचकांक पर भी इसकी स्थिति में सुधार हुआ है।

कारोबारी सुगमता के लिए अंतरराज्यीय रैंकिंग बनाने में निवेशकों की राय को शामिल किया गया है ऐसे में उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में हालात में और अधिक सुधार आएगा। एफडीआई मानकों को उदार किया गया है और रक्षा अचल संपत्ति समेत सभी उत्पादन क्षेत्रों को बहुलांश विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हुई है और लाइसेंस तथा कंट्रोल राज की व्यवस्था को खत्म किया गया है। ईमानदार निवेशक अब यह उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें सहजता से फलने-फूलने का अवसर मिलेगा। सांठगांठ वाले पूंजीवाद को भी निर्णायक ढंग से पीछे छोड़ने में कामयाबी मिली है।

आखिर में स्थायी, तीव्र और समावेशी विकास की वृहद आर्थिक स्थिति कभी इतनी मजबूत नहीं थी। इससे पहले पांच वर्ष तक निरंतर जीडीपी वृद्धि की 7 फीसदी की दर हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली थी जबकि शीर्ष मुद्रास्फीति की दर 4.5 फीसदी से कम रही हो। यह काफी हद तक इस वजह से भी हुआ क्योंकि सरकार ने रिजर्व बैंक को लक्षित मुद्रास्फीति दर हासिल करने का सांविधिक प्राधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा।

सरकार ने जो राजकोषीय कवायद की है उसने भी वृहद आर्थिक हालात को स्थिर बनाने में सहायता मिली है। यह आने वाले समय में आर्थिक वृद्धि के लिए बेहतर संकेत है। इसकी सहायता से हम स्थायी रूप से उच्च, समावेशी और स्थायी वृद्धि की दिशा में बढ़ सकेंगे। इतना ही नहीं, जन सेवाओं की आपूर्ति और लाभ के प्रत्यक्ष अंतरण के मामले में सुधार के साथ-साथ वृद्धि को बेहतर समावेशन और आय के बढ़ते स्तर का फायदा समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी मिला है।

यह सच है कि अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है लेकिन उपरोक्त तीन आमूलचूल बदलावों के साथ हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह गतिशीलता बरकरार रहेगी। इसलिए अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में भारत के आर्थिक बदलाव को जनांकीय और लोकतांत्रिक लाभांश का पूरा सहयोग मिलेगा। वाणिज्यिक बैंकों से ऋण की आवक दोबारा गति पकड़ रही है। ऋण और जीडीपी का अनुपात 50 फीसदी के आसपास है ऐसे में निवेश की नई मांग आसानी से पूरी हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था ऐसे चरण में प्रवेश कर रही है जहां वृद्धि को दो अंकों में पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है।

(लेखक अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

निदेशकों की जवाबदेही पर पंचाट का समय पर फैसला

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

यह बात काफी हद तक ताजा हवा के झोंके के समान है। निदेशकों की जवाबदेही को लेकर मचे शोरगुल और कॉर्पोरेट जगत की किसी भी गड़बड़ी की समुचित जवाबदेही तय करने को लेकर की जा रही जोरदार मांगों के बीच बोर्ड के निदेशकों को संरक्षित करने संबंधी समुचित उपाय सामने आया है जो वास्तव में सराहनीय है।

कंपनियों में अंशधारकों की जवाबदेही सीमित होती है। यह उनकी शेयर पूंजी के अनुपात में होती है। बहरहाल, कंपनियों के बोर्ड में शामिल निदेशकों को बहुत बड़े पैमाने पर असीमित जवाबदेही के जोखिम का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर उस समय जबकि अर्द्ध न्यायिक भूमिका से लैस प्रवर्तन एजेंसियां कंपनियों के साथ साझा और विभिन्न दायित्वों की बात करती हैं। अक्सर ऐसी जवाबदेही को बिना इन निदेशकों की वास्तविक भूमिका का आकलन किए थोप दिया जाता है। कई बार तो इसकी इसके सिवा कोई वजह ही नहीं होती कि संबंधित व्यक्ति उस कंपनी का निदेशक भर होता है जिसने कानून का उल्लंघन किया हो।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा आरोपित एक संयुक्त एवं साझा जवाबदेही के मामले से निपटते हुए प्रतिभूति अपील पंचाट (एसएटी) ने निर्णय दिया कि सेबी का बिना विवरणिका जारी किए प्रतिभूतियां जारी करने वाली कंपनी के सभी निदेशकों को एक ही झाड़ू से हांकने का निर्णय सही नहीं था। कंपनी विधि के अधीन जहां प्रतिभूति खरीद की पेशकश 50 से अधिक लोगों को की गई हो वहां निजी प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता।

कंपनी में एक प्रबंध निदेशक होता है जो कंपनी विधि के मुताबिक देनदारियों में चूक के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। कंपनी विधि में 'ऑफिसर इन डिफॉल्ट' शब्द ही इसीलिए आया है। चूंकि किसी कंपनी की देनदारी में चूक की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान तय होनी चाहिए इसलिए कंपनी विधि इनकी पहचान स्पष्ट करती है। ये हैं- प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव, प्रबंधक और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह व्यक्ति। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तभी सभी निदेशकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

इसके बावजूद सेबी के एक आदेश में उन निदेशकों द्वारा दिए गए प्रमाणों की अनदेखी की गई जो वास्तव में शामिल नहीं थे। आदेश में कहा गया कि बिना अनुपालन के जो भी राशि जुटाई गई है उसका रीफंड करने के लिए ये तमाम निदेशक जवाबदेह होंगे। एसएटी ने अपने निर्णय में कहा कि सेबी को ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला कि गलत काम करने वाला प्रबंध निदेशक था, पूर्णकालिक निदेशक या बोर्ड में शामिल निवेशकों में से कोई एक। ऐसे में हर निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

सेबी के इस रुख के चलते निदेशकों की भूमिका से इतर उनकी मौद्रिक आर्थिक जवाबदेही निर्धारित होने लगी। इस बात का असर आम आपराधिक अभियोजन वाले मामलों से अलग और गंभीर होना ही था। उन मामलों में जिन निदेशकों को उल्लंघन का दोषी नहीं पाया जाता वे सप्रमाण यह कह सकते हैं कि वे संबंधित दायित्व के अनुपालन के लिए जवाबदेह नहीं थे और उसके उल्लंघन का बोझ उन पर नहीं आता। रिकवरी के प्रावधानों में सारे बैंक खातों और वित्तीय परिसंपत्तियों की कुर्की तक का प्रावधान है।

जुर्माने की बात करें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अन्य ऐसा नियामक है जिसके पास जुर्माने के संदर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारित करने का अधिकार है। उसके जुर्माने भी समान प्रावधानों के अधीन वसूल किये जा सकते हैं। अदालतों में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहां कंपनियों के उन सभी निदेशकों की परिसंपत्तियों की घोषणा की मांग की जा रही है, जिनके खिलाफ प्रक्रियाओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

यदि संक्षेप में कहा जाए तो निदेशक कार्यालय एक तरह से जब्ती का शिकार होगा। कॉर्पोरेट निदेशक बनने के लिए जोखिम-प्रोत्साहन प्रोफाइल कुछ ऐसी होती जा रही है कि अच्छा खासा तार्किक माना जाने वाला व्यक्ति भी इस कार्यालय से दूरी बनाए रखने में ही गनीमत समझेगा। ऐसे में कॉर्पोरेट जगत के व्यवस्थित कामकाज के लिए एक जोखिम उत्पन्न हो गया है जो कॉर्पोरेट सुशासन के लिए लिहाज से काफी अहम है। हकीकत यह है कि नया कंपनी अधिनियम और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी के नियमन दोनों ने यह मानक तय किया है कि निदेशकों को तभी उत्तरदायी ठहराया जाएगा जबकि यह जानकारी हो कि उनको बोर्ड प्रक्रिया के माध्यम से होने वाली गड़बड़ी की जानकारी थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई पहल नहीं की।

इस पूरे परिदृश्य में एसएटी के निर्णय के लिए शायद इससे बेहतर समय दूसरा कोई नहीं हो सकता था। अभी हाल ही में भेदिया कारोबार के एक कथित मामले से निपटते हुए देश की सर्वोच्च अदालत के पास भी यह अवसर आया कि वह यह बात दोहराए और दोबारा स्मरण कराए कि किसी निदेशक को जवाबदेह ठहराए जाने के लिए उसके केवल निदेशक होने को वजह नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए कहीं अधिक तथ्यों की आवश्यकता होती है। एक सामान्य चूक यह है कि चूंकि आपराधिक विधि के मानकों के मुताबिक निस्संदेह रूप से दोषी साबित होने का कायदा दीवानी मामलों में लागू नहीं होता है इसलिए इन मामलों में निदेशक होने भर को सबूत मान लिया जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नियामक भविष्य में सावधानी बरतें और प्रवर्तन की प्रक्रिया को बेहतर बनाएं तो इससे वास्तविक गलती करने वालों के मन में कहीं अधिक डर बैठेगा।

कानाफूसी

सुलह जरूरी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों एक रैली के सिलसिले में झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। रैली में कांग्रेस के महागठबंधन साझेदार दलों के नेता भी मंच पर आसीन थे। सूत्रों का कहना है कि इन साझेदारों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल में जहां 13 लोकसभा सीटों के लिए सहमति बन गई है, वहीं एक सीट गोड्डा को लेकर कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा के बीच अब तक सहमति नहीं बन सकी है। सन 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस के फुरकान अंसारी यहां से लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके थे। वह इस बार फिर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं लेकिन उनके समर्थकों के मुताबिक पार्टी का राज्य नेतृत्व उनके खिलाफ है। संभव है राहुल की यात्रा के बाद मामले को सुलझाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई हो।

नाम में बहुत कुछ

पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जो हवाई हमला किया उसने देश के लोगों को उत्साह से भर दिया। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों मसलन एटा, इटावा और लखनऊ में तीन परिवारों ने अपने नवजात शिशुओं का नाम अभिनंदन रख दिया। गौरतलब है कि अभिनंदन भारतीय वायु सेना के उस विंग कमांडर का नाम है जिन्होंने अपने मिग 21 बाइसन से पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया। वह स्वयं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिर गए थे लेकिन अब उनकी सकुशल स्वदेश वापसी हो चुकी है। राजस्थान के दूरदराज इलाके में तो एक पिता इतना उत्साहित हुआ कि उसने अपने बेटे का नाम ही मिराज सिंह राठौर रख दिया। अब देखना है कि उनका बेटा नाम को कितना सार्थक करता है।

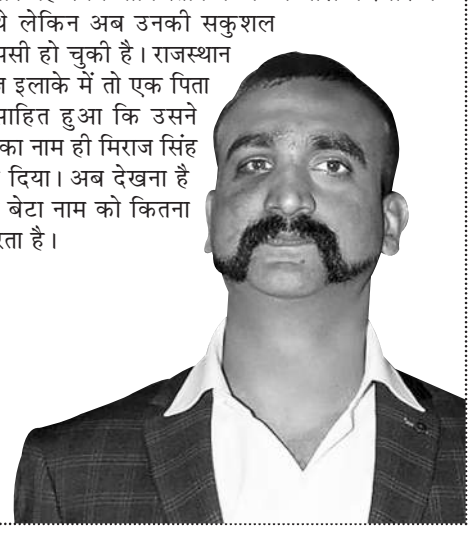

आपका पक्ष

अनुकंपा नियुक्ति पर हो स्पष्ट नीति

हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल ने सत्ताधारी दल के एक दिवंगत नेता पुत्र की सीधे उपजिलाधीश के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस खबर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में रोष है। राज्य के युवा सरकार द्वारा इस तरह की नियुक्ति से पहले पात्रता और परीक्षा संबंधी अर्हता की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य के शहीदों के प्रति सभी युवाओं में सम्मान का भाव है लेकिन सरकार को उनके स्थान पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति के लिए स्पष्ट मानदंड रखने चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसी नियुक्तियों में राजनैतिक हस्तक्षेप बड़े स्तर पर होता है। कई बार सालों तक शहीद सैनिकों के परिवार के किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। वैसे भी, राजनैतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति के देहांत के बाद अक्सर उस परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति राजनीति में सक्रिय हो जाता

है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के पीछे उद्देश्य उस परिवार की आजीविका में सहायता देना होता है। किसी शासकीय संस्था या प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके निकटम आश्रित जीवनसाथी अथवा संतान को मृतक के स्थान पर उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शासकीय सेवा में ले

सरकार को अनुंकपा नीति में विशेष योग्यता वाले पदों को शामिल नहीं करना चाहिए

लिया जाता है। लेकिन इस प्रणाली में मौजूद खामियों तथा इससे उत्पन्न समस्याओं पर सरकार अधिक ध्यान नहीं दे रही है। कई पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता ही अंतिम नहीं होती और उस पद से जुड़ी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए विशेष योग्यता जरूरी होती है। सरकार को एक तरफ अनुकंपा पर आधारित नीति में स्पष्टता लानी चाहिए तथा दूसरी ओर राज्य में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के अधिक केंद्र स्थापित करने चाहिए, जिससे अनुकंपा नीति कारगर साबित हो सके।

ऋषभ देव पांडेय, कोरबा

न्यूनतम आय से दूर हो पाएगी गरीबी

सार्वभौमिक आय योजना (यूबीआई) इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में केंद्र द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान योजना और विपक्षी पार्टी द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आय गारंटी योजना लगभग इसी तरह की हैं। हालांकि इनमें थोड़ा अंतर है। जैसे यूबीआई किसी लक्षित व्यक्ति की बात ना करके सार्वभौमिक स्वरूप की बात करती है। आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अनुसार सार्वभौमिकता और वृहद सामाजिक कवरेज आदि यूबीआई की प्रमुख विशेषता हैं। यदि इस योजना को वास्तविक स्वरूप के साथ लागू किया जाता है तो भारत से गरीबी उन्मूलन में काफी मदद मिलेगी। इसके माध्यम से नागरिकों को मासिक तौर पर एक न्यूनतम आय मिलती रहेगी और इसके माध्यम से लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। यूबीआई के माध्यम से ही हम एक न्यायपूर्ण और शोषणमुक्त समाज की स्थापना भी कर सकेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही भारत सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। इस तरह यूबीआई कहीं ना कहीं समय की मांग बन गई है जिसकी मदद से देश के सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।